कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय – आदेश

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प. 1(2)प्र.सु./अनु.–3/2020 जयपुर दिनांक 13.06.2022 द्वारा राजस्थान क्रीडा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम, 2017(संशोधित नियम, 2020) के अधीन चयनित खिलाडियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु सौंपा गया है। निर्देशानुसार चयनित खिलाडी/कनिष्ठ सहायक का जिला आवंटन निम्नानुसार किया जाता है :–

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	वर्ग	योग्यता	जन्मतिथि	आवंटित जिला
01	मधुरेनू	श्री अमरजीत	GEN	B.A B.P.Ed	01.05.1997	चूरू
02	प्रसन्नजीत बर्मन	श्री तारा बर्मन	GEN	B.Com B.P.Ed	08.06.1997	जयपुर
03	योगेश कुमार शर्मा	श्री कन्हैया लाल शर्मा	EWS	B.A	04.02.1994	झुंझुनू

चयनित खिलाडियो/कनिष्ठ सहायक के पदस्थापन से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावे :–

1. इन अभ्यर्थियो की नियुक्ति की कार्यवाही नियुक्ति अधिकारी/संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा द्वारा राजस्थान सेवा नियम, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 एवं राजस्थान क्रीडा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम, 2017(संशोधित नियम, 2020) के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
2. चयनित खिलाडियों के मूल आवेदन पत्र उनकी निजी पत्रावली में रखे जाने हेतु संलग्न कर भेजे जा रहे है।
3. नियुक्ति अधिकारी/संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा का यह दायित्व रहेगा कि संबंधित अभ्यर्थियो द्वारा कार्यग्रहण करने के समय राजस्थान क्रीडा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम 2017, (संशोधित नियम, 2020) के नियम 3(6) के अन्तर्गत चयनित खिलाडियों को संबंधित पद के लिए 05 वर्ष की कालावधि में निर्धारित अपेक्षित शैक्षणिक अहर्ता अर्जित करने की छूट दी गई है। अतः उपरोक्त वर्णित नियम 3(6) को ध्यान मे रखते हुए संबंधित खिलाडियों को नियुक्ति प्रदान करना सुनिश्चित करें।
4. इनका चयन वर्ष 2021–22 रिक्तियों के विरूद्व किया गया है। अतः विभागीय स्तर पर इनकी वरिष्ठता का निर्धारण का क्रम नियमानुसार(क्रमशः पदोन्नति/सीधी भर्ती/क्रीडा पदक विजेता खिलाडी नियुक्ति) निर्धारित किया गया है।
5. चयनित खिलाडियों को खेल संबंधी कार्यकलापों को जारी रखने हेतु नियुक्ति अधिकारी द्वारा उपरोक्त वर्णित नियम 3(4) के अनुसार अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाया जाएगा। इन चयनित खिलाडियों का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन इनके खेलों में प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर किया जाएगा।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

6. ओबीसी एवं एमबीसी वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत जारी किया गया हों।

7. चयनित खिलाडियों के नाम/उपनाम/विवाह संबंधी शपथ पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं संतान संबंधी शपथ पत्र {कार्मिक(क–2)विभाग द्वारा} निर्धारित प्रोफोर्मा में पूर्ति करावे।

8. स्वास्थ्य परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन नियुक्ति अधिकारी द्वारा नियमानुसार अपने स्तर से करवाया जाना सुनिश्चित करें। पुलिस द्वारा इन खिलाडियों के चरित्र सत्यापन जो प्रतिकूल ना हों, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये नियुक्तियां प्रोविजनल रहेंगी।

9. प्रार्थी के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी करने के बाद यदि प्रार्थी नियमानुसार नियम अवधि में कार्यग्रहण नहीं करता है, तो नियुक्ति निरस्त कर अभ्यर्थी का आवेदन फार्म इस कार्यालय को लौटाए।

10. चयनित खिलाडियो के पदस्थापन से पूर्व प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 1(2)प्र.सु./अनु.–3/2020 जयपुर, दिनांक 13.07.221, परिपत्र दिनांक 18.05.2020 एवं कार्मिक विभाग/वित्त/ राज्य सरकार विभाग द्वारा समय–समय पर जारी नियुक्ति संबंधी सभी नियमों एवं शर्तो की पालना की जावे।

11. गर्भवती महिला खिलाडियों के लिए कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र का आवश्यकता अनुसार अनुसरण किया जावें।

Rajasthan Education Department

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/माध्य/साप्र/बी–I/खिलाडी/कनि.सहा./2021/ दिनांक : 30-06-2022

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार(अनुभाग–3) विभाग, जयपुर को उनके 13.06.22 के क्रम में।
2. सिस्टम ऐनालिसिस्ट कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, चूरू/जयपुर/झुंझनू को मय नियुक्ति आवेदन संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संबंधित आशार्थी।
5. गार्ड पंजिका।

उप निदेशक(प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर